भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल यथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय नई दिल्ली **के संबंध में** "उप भौतिक चिकित्सिक" पद के लिए संयुक्त रूप से एक साथ भर्ती नियम के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सभी केंद्रीय सरकारी अस्पताल यथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय नई दिल्ली के संबंध में "उप भौतिक चिकित्सिक" पद के लिए संयुक्त रूप से एक साथ भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

(राम नरेश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-23061843

(राम नरेश)
(RAM NARESH)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2024

सा.का.नि.सं......-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज/कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में उप मुख्य भौतिकचिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,उप मुख्य भौतिक चिकित्सक,(समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2024, मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज/कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में उपमुख्य भौतिक चिकित्सक (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2024 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप मुख्य भौतिक चिकित्सक	5*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। (i) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल-01 पद (ii)सफदरजंग अस्पताल-03 पद (iii)लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबंधित अस्पताल-01 पद	समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक

			संविदा शामिल है।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः संबंधित अस्पताल के ऐसे ज्येष्ठ भौतिक चिकित्सक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपये) में स्तर-10 में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो। टिप्पणी 1:जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त अथवा वैधानिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारक हैं, या (क) (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10-(56100-177500 रुपये) में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पाँच(5) वर्षों की सेवा की हो	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. संबंधित संस्थान के अपर चिकित्सा अधीक्षक - सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता),स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	पदोन्नति पर विचार के मामले में यूपीएससी से परामर्श आवश्यक है।

और (ख)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान सेभौतिकचिकित्साके किसी भी क्षेत्र में में मास्टर डिग्री। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गतकेंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

ए.12018/02/2024-एमएच-II

(राम नरेश)

अवर सचिव, भारत सरकार